न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः उज्ज्वल राठौड़, I.A.S.

प्रकरण संख्या – 11/2018 (आवन्टन निरस्तीकरण)

जीसीएमएस नं0 –2018/00062

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा।

––प्रार्थी.

बनाम

श्री सुरेन्द्र कुमार आत्मज बंशीधर महाजन साकिन केशवपुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्तीकरण

उपस्थिति

1. श्री बृजराज सिंह चौहान, राजकीय अभिभाषक
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक अप्राथी

निर्णय

दिनांक –05/10/2021

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी तहसीलदार, लाडपुरा (भूमिधारी) ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि अप्रार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार आत्मज बंशीधर जाति महाजन निवासी कोटा को ग्राम परल्या के साबिक खसरा नम्बर 151 की 15.00 बीघा हाल खसरा नम्बर 285 रकबा 1.64 हे0 ख0नं0 286 रकबा 1.34 हे0 कुल किता–2 रकबा 2.98 हे0 भूमि दिनांक 09.02.1973 को आवंटन हुई थी । आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर आवंटन से अब तक कब्जा काश्त नहीं की है तथा आवंटित भूमि पर वर्तमान में दीपपुरा मोड के निवासियों के मकान बाडे आवासीय बने हुए है । इसी भूमि में मौके पर आम रास्ता, धार्मिक स्थान एवं लगभग 5 बीघा भूमि पर अन्य व्यक्तियान का कब्जा काश्त है । ऐसी स्थिति में आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है । अतः अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त फरमावें ।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से श्री घनश्याम नागर अभिभाषक उपस्थित । वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है । राजकीय अभिभाषक एवं वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई ।
3. वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब एवं बहस में कथन किया है कि ग्राम परलिया तहसील लाडपुरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 151 रकबा 15 बीघा भूमि आवंटन

जिला कलक्टर
कोटा

कमेटी मुख्यालय अरण्डखेडा पर दिनांक 1.2.1973 को अप्रार्थी को आवंटन कर कब्जा प्रदान किया गया तथा बाद आवंटन 25.2.1973 को परगना अधिकारी कोटा द्वारा राशि प्राप्त कर कब्जा प्रदान किया गया तथा गैर खातेदारी कानियमानुसार पट्टा जारी किए जाने के आदेश प्रदान किए जिसकी पालना में इंतकाल नम्बर 39 दिनांक 14.12.1973 को अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी प्रदान की गई । अप्रार्थी बाद आवंटन, आवंटन नियमों की पालना निरंतर करता चला आ रहा है तथा आवंटन आराजी पर काश्त कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता चला आ रहा है । अप्रार्थी द्वारा किसी आवंटन नियम का उल्लंघन नहीं किया है । तहसील लाडपुरा में सेटलमेंट कार्य के बाद अप्रार्थी को आवंटन आराजी के नवीन खसरा नम्बर 285 रकबा 1.64 हे0, खसरा नम्बर 286 रकबा 1.34 हे0 कुल 2 किता की 2.98 हे0 अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है तथा अप्रार्थी बहैसियत खातेदार आवंटित आराजी पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है । अप्रार्थी को आवंटन वर्ष 1973 में हुआ है तथा आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही वर्ष 2016 में की गई है इस प्रकार 43 वर्ष बाद प्रार्थी द्वारा बिना किसी आधार एवं तथ्य के प्रार्थना प प्रस्तुत किया जो सव्यय निरस्त किए जाने योग्य है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावें ।

4. राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार आत्मज बंशीधर जाति महाजन निवासी कोटा को ग्राम परल्या के साबिक खसरा नम्बर 151 की 15.00 बीघा हाल खसरा नम्बर 285 रकबा 1.64 हे0 ख0नं0 286 रकबा 1.34 हे0 कुल किता–2 रकबा 2.98 हे0 भूमि दिनांक 09.02.1973 को आवंटन हुई थी । आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर आवंटन से अब तक कब्जा काश्त नहीं की है तथा आवंटित भूमि पर वर्तमान में दीपपुरा मोड के निवासियों के मकान बाडे आवासीय बने हुए है । इसी भूमि में मौके पर आम रास्ता, धार्मिक स्थान एवं लगभग 5 बीघा भूमि पर अन्य व्यक्तियान का कब्जा काश्त है ।

5. हमने राजकीय अभिभाषक व वकील अप्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । ग्राम परलिया तहसील लाडपुरा की ख0नं0 151 की 15 बीघा भूमि दिनांक 01.02.1973 अप्रार्थी आवंटी श्री सुरेन्द्र कुमार आत्मज बंशीधर महाजन निवासी कोटा को आवंटन कमेटी द्वारा कृषि कार्य हेतु आवंटन की गई थी, सेटलमेंट बाद उक्त भूमि के नवीन खसरा नम्बर 285 रकबा 1.64 हे0, खसरा नम्बर 286 रकबा 1.34 हे0 कुल 2 किता की 2.98 हे0 बने जो अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी से दर्ज हुई । पत्रावली में उपलब्ध पटवारी एवं भू–अभिलेख की रिपोर्ट दिनांक 1.1.2016 अनुसार उक्त भूमि पर अप्रार्थी आवंटी का आवंटन से अब तक कब्जा काश्त नहीं है तथा उक्त आवंटित भूमि पर अन्य व्यक्तियों के मकान बने हुए है तथा इसी भूमि पर आम रास्ता एवं धार्मिक स्थल बने हुए होना बताया है । इसके विपरीत अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त किया जाना अपने जवाब एवं बहस में कथन किया है, किन्तु कब्जा काश्त की पुष्टि में खसरा गिरदावरी की नकले संलग्न नहीं की है जिससे काश्त होने की पुष्टि की जा सकें । साथ ही पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि वक्त आवंटन के भी आवंटी कोटा में ही निवास करता था, ऐसी सूरत में आवंटी सम्बन्धित ग्राम एवं ग्राम पंचायत का निवासी नहीं होने से भी उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं कर पाया तथा आवंटन कमेटी द्वारा किया गया आवंटन भी दोषपूर्ण प्रतीत होता है । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्क आधारहीन है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होता है ।

6. परिणमतः अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 1.2.1973 को आवंटन कमेटी द्वारा ग्राम परलिया के साबिक खसरा नम्बर 151 की 15 बीघा हाल खसरा नम्बर 285 रकबा 1.64 हे0, एवं खसरा नम्बर 286 रकबा 1.34 हे0 कुल 2 किता की 2.98 हे0 भूमि अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है । तहसीलदार लाडपुरा को आदेश दिये जाते है कि उक्त आवंटित भूमि सिवायचक दर्ज की जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें ।

7. निर्णय आज दिनांक 05.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5/10/21

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलक्टर
कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा